पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 187/2017

अनवान :

1. महेन्द्रसिंह पुत्र श्रवण जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. शंकरलाल पुत्र श्रवण जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. श्रवण पुत्र हरचन्द जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. मेसर पुत्री श्रवण जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. पार्वती पुत्री श्रवण जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
4. इन्द्रादेवी पुत्री श्रवण जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
5. तारादेवी पुत्री श्रवण जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 एमएसआर के खाता सं0 87/81 के मु0नं0 53 के किला नं0 6 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 मु0नं0 60 के किला नं0 2 ता 5, 16 ता 19, 23 ता 25 कुल 6.831 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी श्रवण वल्द हरचन्द के नाम से खातेदारी दर्ज है उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से खाता सं0 87/81 के मु0नं0 53 के किला नं0 6 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 मु0नं0 60 के किला नं0 2 ता 5 में वादीगण बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर देय स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क अदा करने एवं यदि विवादित कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन फक होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.1.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 187/2017

अनवान :

1. महेन्द्रसिंह पुत्र श्रवण जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. शंकरलाल पुत्र श्रवण जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. श्रवण पुत्र हरचन्द जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. मेसर पुत्री श्रवण जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. पार्वती पुत्री श्रवण जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
4. इन्द्रादेवी पुत्री श्रवण जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
5. तारादेवी पुत्री श्रवण जाति मेघवाल निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955
उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : **वादीगण**
निर्णय **दिनांक :** 25.1.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 9 एमएसआर के खाता सं0 87/81 के मु0नं0 53 के किला नं0 6 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 मु0नं0 60 के किला नं0 2 ता 5, 16 ता 19, 23 ता 25 कुल 6.831 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी श्रवण वल्द हरचन्द के नाम से खातेदारी दर्ज है।

उक्त वाद भूमि में से चक 9 एमएसआर के मु0नं0 53 के किला नं0 6 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 मु0नं0 60 किला नं0 2 ता 5 इस प्रकार कुल 20 किला नं0 5.060 है0 भूमि पहले वादीगण के दादा हरचन्द की खातेदारी हुआ करती थी जो वादीगण के दादा हरचन्द के देहान्त होने पर प्रतिवादी श्रवण ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली। उक्त भूमि दादालाई होने के कारण उसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है तथा प्रतिवादी श्रवण के नाम शेष दर्ज भूमि इसी भूमि की आय आमदनी से संयुक्त परिवार में खरीद की हुई है।

वाद भूमि के सम्बन्ध में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट भी हो गया था जिसमें उक्त वादभूमि में चक 9 एमएसआर के मु0नं0 53 के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

किला नं0 6 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 मु0नं0 60 किला नं0 2 ता 5 की 5.060 है0 भूमि वादीगण को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई तथा प्रतिवादी श्रवण के हिस्सा में चक 9 एमएसआर के मु0नं0 60 के किला नं0 16 ता 19, 23 ता 25 की 1. 771 है0 भूमि आ गई तथा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने वादीगण के हिस्सा में आई भूमि में अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था। इसी अनुसार वादीगण की कब्जा काश्त चली आ रही है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में कुल वादभूमि आज भी प्रतिवादी श्रवण के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पडता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 6 पेरोकार राज ने जबाब दावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी महेन्द्रसिह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित चित्रप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 9एमएसआर खाता सं0 87/81 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम 9 मुन्सरी सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये एवं वारिस प्रमाण पत्र पेश किया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित कृषि भूमि दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व अधिकारी निहित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने चक 9 एमएसआर के अपने पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने वाद पत्र में विवादित कृषि भूमि दादालाई कृषि भूमि होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि के लिए वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम 9 मुन्सरी सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई जो कि हरचन्द वल्द मंगतु के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं मिलान करने पर वर्तमान जमाबन्दी के मु0नं0 53 के समस्त किले व मु0नं0 60 के किला नं0 2 ता 5 का मिलान हो पाया है। इस प्रकार मिलान में सही पाये गये किलों की हद तक ही वाद वादीगण साबित है एवं वादीगण ने अपने दावा में भी इसी भूमि को दादालाई होना बताया है।

अत : वाद वादीगण साबित होने कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 एमएसआर के खाता सं0 87/81 के मु0नं0 53 के किला नं0 6 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 मु0नं0 60 के किला नं0 2 ता 5, 16 ता 19, 23 ता 25 कुल 6.831 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी श्रवण वल्द हरचन्द के नाम से खातेदारी दर्ज है उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से खाता सं0 87/81 के मु0नं0 53 के किला नं0 6 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

मु0नं0 60 के किला नं0 2 ता 5 में वादीगण बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर देय स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क अदा करने एवं यदि विवादित कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन फक होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.1.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़